



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी (नैनीताल)

UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY, HALDWANI (NAINITAL)

45

पत्रांक: यूओयू/परीक्षा/411(18)/2024/

दिनांक 20/08/2024

माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 14 अगस्त 2024 (बुद्धवार) को सम्पन्न परीक्षा समिति की 18वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-

1. प्रो0 गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान वि0शा0, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी -सदस्य
2. प्रो0 पी0डी0 पंत, निदेशक, भौमिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। -सदस्य
3. प्रो0 जीतेन्द्र पाण्डेय, निदेशक, कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्यौ0 विद्या0, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। -सदस्य
4. डा0 डिगर सिंह, सह-प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। -सदस्य
5. प्रो0 संजय खत्री, कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। -(आमंत्रित सदस्य)
6. श्री सूर्य प्रताप सिंह, मुख्य वित्त अधिकारी, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। -(आमंत्रित सदस्य)
7. डा0 आशुतोष कुमार भट्ट, उप परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। -(आमंत्रित सदस्य)
8. डा0 ज्योति रानी, सहायक परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। -(आमंत्रित सदस्य)
9. श्रीमती रत्ती डोगरा, सहायक कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। -(आमंत्रित सदस्य)
10. श्री नवनीत कुमार, सहायक निदेशक कम्प्यूटर, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। -(आमंत्रित सदस्य)
11. श्रीमती कमला राठौर बिष्ट, कार्यालय सहायक, परीक्षा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। -(अनुभाग स्तर)

सर्वप्रथम परीक्षा नियंत्रक (सदस्य सचिव, परीक्षा समिति) द्वारा कुलपति (अध्यक्ष, परीक्षा समिति) तथा सभी उपस्थित सदस्यों का परीक्षा समिति की 18वीं बैठक में स्वागत किया गया।

तदुपरान्त परीक्षा नियंत्रक द्वारा संबंधित प्रस्तावों पर विचार हेतु सदस्यों को आमंत्रित किया जिस पर बैठक में प्रस्ताववार चर्चा की गयी तथा निम्न संस्तुति प्रदान की गई :

प्रस्ताव-18.1- 17वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी 2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि

परीक्षा समिति की 17वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी 2024 के कार्यवृत्त का परीक्षा समिति द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन दिया गया।

प्रस्ताव-18.2- परीक्षा समिति की 17वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2024 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही

परीक्षा समिति की 17वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2024 की कृत कार्यवाही की जानकारी परीक्षा नियंत्रक द्वारा समिति को विस्तृत रूप में दी गई तदनु रूप विचार विमर्श में सर्वसम्मति से कृत कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव 18.3 परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु उत्तर-पुस्तिकाओं के बण्डलों का संकलन, परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन हेतु उत्तर-पुस्तिकाओं का प्रेषण एवं परीक्षणोपरान्त परीक्षा परिणाम घोषित होने तक समस्त कार्य किये जाने हेतु कर्मचारियों तथा पारिश्रमिक के निर्धारण विषयक।

निर्णय- परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त परीक्षा की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु उत्तर-पुस्तिकाओं के बण्डलों का संकलन, परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन हेतु उत्तर-पुस्तिकाओं का प्रेषण एवं परीक्षणोपरान्त परीक्षा परिणाम घोषित होने तक समस्त कार्य किये जाने हेतु निम्न तालिकानुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के निर्धारण किये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी।

अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि की दरें

क्रमांक	प्रकार/दायित्व	कार्मिकों की संख्या	धनराशि (प्रति कार्मिक)
1	समन्वयक/उप परीक्षा नियंत्रक/सहायक परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव	01	7000
2	तृतीय श्रेणी कर्मचारी (परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त चालान से मिलान कर उत्तरपुस्तिका प्राप्त करना तथा मूल्यांकन हेतु निर्गत करना)	06 (03 परीक्षा अनुभाग तथा 03 अन्य अनुभाग से)	5000
3	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (क्रमांक 1 व 2 की सहायता हेतु)	05 (03 परीक्षा अनुभाग तथा 02 अन्य अनुभाग से)	4000
4	तृतीय श्रेणी कर्मचारी OMR (अवार्ड शीट) प्रिंटिंग हेतु	02	5000
5	तृतीय श्रेणी कर्मचारी, परीक्षा के दौरान परीक्षा अनुभाग में सम्बद्ध	02	5000
6	तृतीय श्रेणी कर्मचारी (प्रायोगात्मक, मौखिक परीक्षा, लघुशोध, परियोजना कार्य, फिल्ड वर्क)	02	5000
7	तृतीय श्रेणी कर्मचारी (टेबुलेशन हेतु)	02	5000
8	वित्त नियंत्रक के निवर्तन पर उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा परीक्षा में किए जाने वाले सहयोग हेतु	10000

परीक्षा अनुभाग के अलावा अन्य विभागों से सम्बद्ध कार्मिकों का चयन कमावर्तन के अनुसार किया जाएगा। आनुषांगिक व्यय के रूप में रू0 0.20 पैसे प्रति-उत्तर-पुस्तिका दिया जाएगा जिसके अन्तर्गत समन्वयक दुलाई, आकस्मिक व्यय आदि को सम्मिलित करेंगे। उक्त व्यवस्था लागू होने के उपरांत वित्त समिति की 16वीं बैठक में स्वीकृत रू0 3000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था को समाप्त माना जाए। समन्वयक द्वारा उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हेतु उल्लिखित दिशा-निर्देशों पर संस्तुति प्रदान की गई।

समन्वयक हेतु दिशा-निर्देश


1. समन्वयक का यह दायित्व होगा कि वह विभिन्न परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त उत्तर-पुस्तिकाओं की गिनती तथा उनका विवरण रजिस्टर में अंकन का कार्य कराएंगे।
2. समन्वयक समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले छटनी के कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे।
3. समन्वयक छटनी कार्य समाप्त होने के उपरान्त मूल्यांकन हेतु परिसर से बाहर भेजी जाने वाली तथा मूल्यांकन के उपरान्त वापस आने वाली उत्तर-पुस्तिकाओं का विवरण पृथक से दर्ज करेंगे।
4. विश्वविद्यालय परिसर के भीतर होने वाले उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकनकर्ता से सम्पर्क करेंगे समस्त मूल्यांकन कार्य सम्पादित करवाएंगे।
5. मूल्यांकन कार्य समाप्त होने के उपरान्त मूल्यांकनकर्ता को किये जाने वाले भुगतान के बीजक तैयार कराएंगे।
6. आनुषांगिक मद में प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग उत्तरपुस्तिकाओं को वाहनों से उतारने एवं चढ़ाने जैसे ढुलाई कार्यों के लिए श्रमिकों की व्यवस्था तथा अन्य आकस्मिक व्यय हेतु किया जाएगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व समन्वयक का होगा।

परीक्षा नियंत्रक की संस्तुति पर उक्त तालिका में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने हेतु मा० कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।


प्रस्ताव 18.4 उत्तर-पुस्तिकाओं के मुख्यालय से अन्य स्थानों पर मूल्यांकन कार्य कराये जाने की दशा में समन्वयन एवं आनुषांगिक कार्यों हेतु भुगतान सम्बन्धी आदेश में संशोधन विषयक।

विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य मुख्यालय (विश्वविद्यालय परिसर) के अतिरिक्त बाह्य स्थलों पर कराये जाने हेतु समन्वयकों को पूर्व में दिये जाने वाले मानदेय व आनुषांगिक व्यय को निम्नवत संशोधन किया गया—

निर्णय— समन्वयकों को रू० 1.00 प्रति उत्तर-पुस्तिका पारिश्रमिक के रूप में एवं रू० 50 पैसा प्रति उत्तर-पुस्तिका सहायक कार्मिकों को पारिश्रमिक देय होगा। कार्य समाप्ति के उपरांत समन्वयक द्वारा स्वयं का एवं सहायक कार्मिकों का विवरण (संबंधित का नाम, कार्य तिथि उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या, खाता संख्या एवं भुगतान की राशि का विवरण) अंकित कर भुगतान हेतु विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।


उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
(लडादी (नैनीताल) उत्तराखण्ड)

3


कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव 18.5 विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जा रहे विशेष मानदेय पर पुनर्विचार।

निर्णय- वित्त समिति की 16वीं बैठक के बिन्दु संख्या-16.17 के द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये जाने वाले विशेष मानदेय का नाम परिवर्तित करते हुए विशेष प्रोत्साहन राशि किया गया तथा दरें निम्नवत संशोधित की गई है-

कार्मिकों की श्रेणी	16वीं वित्त समिति द्वारा संस्तुत दरें	परीक्षा समिति की संस्तुति पर
परीक्षा नियंत्रक	रु0 15000	यथावत
कुलसचिव/वित्त नियंत्रक	रु0 11000	यथावत
सहायक परीक्षा नियंत्रक/उप परीक्षा नियंत्रक	रु0 10000	यथावत
उप कुलसचिव	रु0 8000	रु0 10000
सहायक कुलसचिव/अन्य सभी अधिकारीगण	रु0 8000	रु0 9000
जन सम्पर्क अधिकारी	रु0 8000	समाप्त
समूह 'ग'	रु0 7200	यथावत
समूह 'घ'	रु0 6500	यथावत

विश्वविद्यालय के जिन कार्मिकों द्वारा परीक्षा के दौरान सहयोग नहीं किया जायेगा तथा परीक्षा ड्यूटी करने से मना किया जायेगा ऐसे कार्मिक प्रोत्साहन राशि हेतु पात्र नहीं होंगे। उपरोक्त पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव 18.6 विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से सम्बन्धित ओ0एम0आर0 शीट के मूल्यांकन हेतु स्वीकृत मानदेय।

निर्णय- परीक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव 18.7 परीक्षा अनुभाग हेतु पिक-अप वाहनों की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

निर्णय- समिति द्वारा पिक-अप वाहन कय किये जाने हेतु असहमति व्यक्त की गई।

यदि सूचीबद्ध वाहन प्रदाता फर्म वाहन देने में सक्षम नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में परीक्षा के कार्यों की तात्कालिकता के दृष्टिगत वित्त विभाग से मात्र परीक्षा कार्य हेतु वाहनों की दरें स्वीकृत कराई जा सकती है। जिस हेतु वित्त अधिकारी, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक द्वारा आपसी सामन्जस्य स्थापित कर समाधान माननीय कुलपति महोदय के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। इस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वारी (नैनीताल) उत्तराखण्ड

कुलपति 14/8/20
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव 18.8- विश्वविद्यालय की मौखिक परीक्षा, लघुशोध, परियोजना कार्य, फिल्ड वर्क एवं प्रायोगात्मक परीक्षा के अंक पोर्टल पर अंकित किए जाने विषयक।

निर्णय- मौखिक परीक्षा, लघुशोध, परियोजना कार्य, फिल्ड वर्क एवं प्रायोगात्मक परीक्षा हेतु वाह्य/आन्तरिक परीक्षक के साथ विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग का शिक्षक समन्वयक के रूप में नियुक्त किया जायेगा। परीक्षकों की सूची के साथ समन्वयक का नाम विभाग के द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से माननीय कुलपति महोदय से अनुमोदित कराया जायेगा।

उपरोक्त कार्य हेतु समन्वयक को रू0 500/- पारिश्रमिक प्रति विषय स्वीकृत होगा, पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा एक परीक्षा केन्द्र पर रू0 2000/-होगी। समन्वयक को विश्वविद्यालय नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा। उक्त स्वीकृत धनराशि पारिश्रमिक के रूप में देय है अतः इस पर TDS एवं UWF की कटौती की जायेगी।

समन्वयक को विश्वविद्यालय द्वारा SIS लिंक प्रदान किया जायेगा जिसमें वह परीक्षा दिवस पर ही ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि करेगा तदोपरान्त प्रविष्टि किये गये अंकों की अवार्ड शीट प्रिंट करते हुए, अवार्ड व उपस्थिति में दोनों परीक्षकों के हस्ताक्षर करवाकर परीक्षा अनुभाग को प्रेषित करेगा।

उक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव 18.9 पर्यवेक्षक, औचक निरीक्षक तथा प्रश्नपत्र निर्माण पारिश्रमिक एवं एक परीक्षक की भुगतान राशि पर पुनर्विचार किये जाने विषयक।

निर्णय- विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से सम्बन्धित औचक निरीक्षक, प्रश्नपत्र निर्माण (परीक्षा समिति की द्वितीय बैठक) तथा पर्यवेक्षक हेतु पारिश्रमिक परीक्षा समिति की क्रमशः छठी बैठक व समिति के निर्णय के द्वारा निम्न पारिश्रमिक स्वीकृत किया गया था, परन्तु वित्त समिति की किसी भी बैठक में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। अतः संबंधित दरों का अवलोकन करते हुए परीक्षा समिति के माध्यम से वित्तीय अनुमोदन हेतु निणयार्थ प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा निम्न दरों को यथावत रखते हुए वित्त समिति में स्वीकृत किये जाने हेतु वित्त समिति को संदर्भित किये जाने पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।

औचक निरीक्षक कार्य	रू0/- 600 प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति
पर्यवेक्षक कार्य	रू0/- 700 प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति
प्रश्नपत्र निर्माण कार्य	रू0/- 1000 प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति

विश्वविद्यालय की एक परीक्षा सत्र में प्रति परीक्षक (वाह्य/आन्तरिक) को पारिश्रमिक धनराशि के रूप में (प्रश्नपत्र निर्माण, मोडरेशन, उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन व परियोजना/लघु शोध मूल्यांकन एवं प्रायोगात्मक परीक्षा व मौखिक परीक्षा) रू0 20000 तक के अधिकतम भुगतान की सीमा में संशोधन कर रू0 50,000 (पचास हजार) किए जाने पर समिति द्वारा सर्व सम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव 18.10 उप परीक्षा नियंत्रक, सहायक परीक्षा नियंत्रक एवं ए0सी0 शिक्षकों के संबंध में पुर्नविचार।

निर्णय- वित्त समिति की बैठक 16वीं बैठक में उप परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा सहायक (ए0सी0 शिक्षक) एवं वित्त समिति की 6वीं बैठक में सहायक परीक्षा नियंत्रक की तैनाती परीक्षा अनुभाग में किये जाने हेतु समिति द्वारा संशोधन करते हुए निम्न संस्तुतियां प्रदान की गईं-

क्र0स0	तैनाती	पूर्व अनुमदित संख्या	संस्तुत संख्या
1.	उप परीक्षा नियंत्रक	02	यथावत
2.	सहायक परीक्षा नियंत्रक	03	02
3.	परीक्षा सहायक (ए0सी0 शिक्षक)	02	05

प्रस्ताव 18.11 मा0 कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा तैयार किये गये अनुचित साधन के प्रयोग सम्बन्धी (UFM) नियम स्वीकृत किये जाने विषयक।

निर्णय- परीक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए प्रस्ताव पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव 18.12 परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले मूल्यांकनकर्ताओं (परीक्षकों) हेतु अनुदेश अवलोकन हेतु।

निर्णय- परीक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन करते हुए प्रस्ताव पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव 18.13 अध्यक्ष जी की अनुमति से अन्य आवश्यकीय प्रस्ताव।

1. कुलसचिव से यह अपेक्षा की गई कि वह विश्वविद्यालय परिसर में CCTV कमरों की व्यवस्था करें।

बैठक के अन्त में सभी सदस्यों का सदस्य सचिव, (परीक्षा नियंत्रक) द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनकी अनुमति से बैठक का समापन किया गया।

सदस्य सचिव
परीक्षा समिति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
दुर्गवादी (देवीदाबा) उत्तराखण्ड

अध्यक्ष,
परीक्षा समिति
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)